राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 05.05.2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान

विषयः– कोविड–19 की स्थिति के परिपेक्ष्य में चिकित्सकों, जी. एन. एम. द्वितीय/ पैरा मेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों को यू. टी. बी. आधार पर भरने के संबंध में।

संदर्भः– विभागीय सम संख्यक पत्र दिनांक 27.04.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.04.2021 के द्वारा आपके जिले में उपलब्ध चिकित्सा अधिकारी, जी. एन. एम. द्वितीय/पैरा मेडिकल स्टाफ के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार कोरोना वायरस (**COVID-19**) के नियंत्रण अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो तक जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से भरे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार (यूटीबी) पर चिकित्सकों, जी. एन. एम. द्वितीय/ पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। अतः विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 27.04.2021 की निरन्तरता में सभी जिलो में भर्ती की समान प्रकिया अपनाये जाने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. चयन में पीजी/एमडी– मेडिसिन एवं एमडी – एनेस्थिसिया वाले चिकित्सक का सर्वप्रथम चयन किया जावें।
2. शेष एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाकर चिकित्सको की चयन सूची बनाई जावें।
3. नर्सिग/पैरा मेडिकल कर्मियों के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत + तकनीकी योग्यता का प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाकर चयन किया जावें।
4. चयन सूची में स्थानीय अभ्यर्थियों को चयन में वरियता दी जावें।
5. जो चिकित्सक/ नर्सिग कर्मियों/पैरा मेडिकल स्टाफ पूर्व में कोविड–19 में कार्य कर चुके है उनको चयन सूची में वरियता दी जावें।

जिला कलेक्टर उपरोक्तानुसार चयन सूची तैयार कर, चिकित्सको/ नर्सिग कर्मियों/पैरा मेडिकल स्टाफ का चयन करते हुए चयनित चिकित्सको/ नर्सिग कर्मियों/पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवाऐं तत्काल प्रारम्भ कर, निदेशालय को कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रेषित करने करावें।

यूटीबी पर चयनित चिकित्सकों/ नर्सिग कर्मियों/पैरा मेडिकल स्टाफ का कार्योत्तर अनुमोदन निदेशालय स्तर से ही किया जावेगा।

शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग
8. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
11. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव